रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-11122025-268426
CG-WB-E-11122025-268426

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5557] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 11, 2025/अग्रहायण 20, 1947
No. 5557] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 11, 2025/AGRAHAYANA 20, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

कोलकाता, 11 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5745(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989, (रेलवे (संशोधित) अधिनियम, 2008 के अनुसार संशोधित) की धारा 2 के खण्ड (7 ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद् रूप से नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम-(4) में वर्णित रेलवे परियोजना के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी** के रूप में कार्य-निष्पादित करें तथा उपर्युक्त तलिका के ही कॉलम-(3) में वर्णित राज्य में कार्य-निष्पादन अनुपालन, प्रबंधन एवं परिचालन के लिए भी वह कार्य करें तथा यह राजकीय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

तालिका

क्रमांक	**सक्षम प्राधिकारी**	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एलए) पूर्व बर्धमान	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए, **विशेष रेलवे परियोजना** के रूप में "चंदनपुर-शक्तिगढ़ चौथी लाइन "।

[फा. सं. मु. प्र. अ./नि./ भू./ 319]

मनोज खाँ, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[Eastern Railway (Construction Department)]

NOTIFICATION

Kolkata, the 11th December, 2025

S.O. 5745(E).— In exercise of the powers conferred by clause (**7A**) of Section 2 of the Railways Act,1989,(as amended vide the Railways (Amendment) Act,2008) the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Table below to perform the functions of the **Competent Authority** in respect of the Railway Project as mentioned in column (4) of the Table, for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Serial Number	**Competent Authority**	State	Name of Railway Project.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Additional District Magistrate (LA) Purba Bardhaman	West Bengal	**"Chandanpur-Saktigarh 4th Line"** as **Special Railway Project** for acquisition of land in the Purba Bardhaman District of West Bengal.

[F. No. CAO/Con/L/319]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/Con

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.